

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(3)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक: 26.7.16

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के उप विधि परामर्शी के वर्ष 2016-17 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 01.07.2016 को बैठक आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित सहायक विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर करने के फलस्वरूप इन्हें उप विधि परामर्शी के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	क.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती
1.	विनोद कुमार अग्रवाल	8.	हरिकृष्ण टूटेजा
2.	कैलाश राम इनानियां	9.	हारुन अली
3.	प्रकाश गुप्ता	10.	बदनलाल
4.	अशोक कुमार घीया	11.	देवेन्द्र पाल मीणा - अजजा
5.	विनोद कुमार शर्मा*	12.	लाला राम - अजा
6.	विजय प्रसाद शर्मा	13.	नरेन्द्र कुमार आर्य - अजा
7.	श्रीमती नीता विजय मिश्रा		

उक्त अधिकारियों को उप विधि परामर्शी के पद के वेतन PB No.-3 (15600-39100) GP No.-19 (7200) में दिनांक 01.04.2016 की रिक्तियों के विरुद्ध नोशनल आधार पर एवं कार्यभार संभालने की तिथि से नकद लाभ देय होगा। उक्त पदोन्नत अधिकारी अपने पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

26/07/16
(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

26/07/16
(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव